विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0031613

मेसर्स रामचंद महादेव सराफ,
द्वारा : प्रोप्राईटर बाबूलाल अग्रवाल, — आवेदक
निवासी : म.नं. 56, तिलक मार्ग,
नीमच (म.प्र.) — 458441

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.), — अनावेदकगण
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नीमच (म.प्र.) — 458226

आवेदक स्वयं उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री रमेश वर्मा उपस्थित ।

आदेश

(आज दिनांक 10.09.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर तथा उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक W0221512 श्री रामचंद महादेव सराफ विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 12.03.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के विरूद्ध सर्वप्रथम फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी इसे शिकायत क्रमांक W0221512 श्री रामचंद महादेव सराफ विरूद्ध कार्यपालन यंत्री के रूप में पंजीबद्ध किया गया था । इस शिकायत में पारित आदेश दिनांक 19.04.2012 के द्वारा उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किया गया था । फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर उसे प्रकरण क्रमांक L0025412 मेसर्स रामचंद

महादेव विरूद्ध कार्यपालन यंत्री के रूप में पंजीबद्ध किया गया था । उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.12.2012 के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत को फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि क्या उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन क्रमांक 72–42–41358 तथा कनेक्शन क्रमांक 90–06–129674 का बकाया न जमा किए जाने के कारण उसका विद्युत कनेक्शन क्रमांक 474501/90–31/26072 (गैर घरेलू) को काटने का अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को है ? इस बिन्दु पर शिकायत का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे ।

3. मामला प्रत्यावर्तित किए जाने के बाद फोरम ने पुनः उपभोक्ता को शिकायत के संबंध में दस्तावेज पेश करने, अनावेदक को जवाब पेश करने का समय दिया तथा प्रश्नगत् आदेश में पुनः उपभोक्ता के शपथ–पत्र का कण्डिकावार विवरण देते हुए, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का कण्डिकावार विवरण देते हुए उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के तीनों विद्युत कनेक्शनों की बिलिंग विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार आदेश प्राप्ति की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पुनरीक्षित की जाए और उपभोक्ता द्वारा विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें ।

4. फोरम के उक्त आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का पहली बार निराकरण करते समय विधि के प्रावधानों का अवलोकन किए बिना आदेश पारित किया था तथा विद्युत लोकपाल द्वारा शिकायत को प्रत्यावर्तित किए जाने के बाद फोरम ने संभवतः लोकपाल के आदेश दिनांक 21.12.12 का अवलोकन करने का कष्ट तक नहीं किया है । लोकपाल के आदेश की कण्डिका 8 में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि फोरम ने अपने आदेश में उपभोक्ता की शिकायत का कोई विवरण नहीं दिया है, अपितु उपभोक्ता ने अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब के खण्डन में जो शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है उसी का विवरण दिया है और उसी के आधार पर मामले का निराकरण किया है । कण्डिका – 7 में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवाद का मुख्य विषय क्या है और विवाद के इसी मुख्य विषय के संबंध में फोरम द्वारा आदेश अपेक्षित था, लेकिन फोरम ने विवाद के उक्त मुख्य विषय का विवेचन करते हुए कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, अतः स्पष्ट है कि फोरम ने पुनः उपभोक्ता की शिकायत का सतही तौर पर विचार करते हुए निष्कर्ष दिया है तथा फोरम को दिए गए अधिकार के आलोक में शिकायत का निराकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । शिकायत प्रत्यावर्तित किए जाने के बाद फोरम को उपभोक्ता की ओर से पहली बार प्रस्तुत शिकायत

पर विचार करना था, परन्तु फोरम ने उस शिकायत को ध्यान में न रखते हुए पुनः उपभोक्ता को अपनी शिकायत नवीन रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, जो उचित नहीं है ।

5. उपभोक्ता ने फोरम के आदेश के विरूद्ध जो अभ्यावेदन अर्थात् अपील प्रस्तुत की है उसमें भी अनावश्यक तथ्यों का विवरण दिया गया है तथा यह अनुतोष भी चाहा गया है कि कनेक्शन नम्बर 71–76–117179 को न काटा जाए तथा कनेक्शन क्रमांक 474501/90–31/26072 को वापस चालू कर पुनः प्रारंभ करने की दिनांक तक का बिल निरस्त किया जाए । जबकि विद्युत लोकपाल द्वारा विद्युत कनेक्शन 71–76–117179 के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया था, अतः इस कनेक्शन के संबंध में उपभोक्ता कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रश्नगत् अभ्यावेदन के आधार पर नहीं होता है । यदि उपभोक्ता इस कनेक्शन के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहता है तो वह पृथक से कार्यवाही नियमानुसार कर सकता है ।

6. **अतः मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

क्या उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 474501/90–31/26072 (गैर घरेलू) का विच्छेदन करने का वैध अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

7. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन किया जा सकता है । इस मामले में उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन धारा 56 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत किया गया था, इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब से प्राप्त नहीं होता है ।

8. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 10.17 से 10.22 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन किया जा सकता है । इस मामले में अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता के प्रश्नगत् विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन उक्त प्रावधानों में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत किया गया था, इसका कोई स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिए गए उत्तर से प्राप्त नहीं होता है ।

9. उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् मामले में उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 474501/90–31/26072 (गैर घरेलू) के संबंध में उपभोक्ता पर विद्युत का कोई बकाया नहीं था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत के वितरण का अधिकार प्राप्त है, इस कारण विद्युत उपभोक्ता जिसके पास अन्य प्रयोजन के लिए दूसरे विद्युत कनेक्शन थे और उन विद्युत कनेक्शनों के संबंध में उपभोक्ता द्वारा देयकों का भुगतान नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा था के कारण उपभोक्ता के

प्रश्नगत् गैर घरेलू कनेक्शन को काटा गया था । उपभोक्ता पर दवाब बनाने के लिए या दूसरे कनेक्शनों की राशि वसूल करने के लिए उपभोक्ता के वैध कनेक्शन को काटने का कोई अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को नहीं था । अतः अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता के उक्त गैर घरेलू कनेक्शन को काटने की जो कार्यवाही की गई थी वह प्रथमदृष्टि अवैध होना प्रतीत होती है ।

10. अतः प्रश्नगत् गैर घरेलू कनेक्शन के संबंध में उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत को मान्य किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता के गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 474501/90–31/26072 को पुनः जोड़ने की कार्यवाही करें और जितने दिन तक उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन रहा है उस अवधि में उपभोक्ता से विद्युत व्यय के रूप में कोई राशि वसूल न की जावे ।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल